राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड,

कक्ष संख्या– 47 कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पो0ओ0–गुजराड़ा, डांडा लाखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई0मेल–smhauthority007@gmail.com, दूरभाष –0135–2608763: फैक्स 2608746

पत्रांक– 21प / सा0मा0 / रा0मा0स्वा0प्राधि0 / 3 / 2020 /

दिनांक– 11 सितम्बर, 2023

सेवा में

सहायक निदेशक (आई0ई0सी0)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– राज्य मे संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य सस्थानों एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को पंजीकृत किये जाने से सम्बन्धित सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा राज्य मे संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य सस्थानों एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को पंजीकृत किये जाने से सम्बन्धित सूचना संलग्न कर आपको इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि इसका प्रकाशन सर्वाधिक प्रचार–प्रसार वाले दो स्थानीय हिन्दी दैनिक तथा दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में डी0ए0वी0पी0 दरों में दिनांकः 13/9/2023. (एक बार में) प्रकाशित कराने का कष्ट करें, तथा प्रकाशित सूचना की दो–दो प्रतियाँ राज्य मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीया,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक– 21प / सा0मा0 / रा0मा0स्वा0प्राधि0 / 3 / 2020 / 27918 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक(आई0टी0सैल) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूपों को महानिदेशालय एवं, एन0एच0एम0 की वेवसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करे।

14/9/23 - Com go Nurl

11/9/2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड देहरादून।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड,

कक्ष संख्या– 47 कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पो0ओ0–गुजराड़ा, डांडा लाखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई0मेल–smhauthority007@gmail.com, दूरभाष –0135–3506204

पत्रांक– 21प/सा0मा0/रा0मा0स्वा0प्राधि0/3/2020/ 27919 दिनांक– 11 सितम्बर, 2023

–:सार्वजनिक सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 की धारा 121 की उप धारा –2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड) नियमावली, विनियमावली एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (नशा मुक्ति केन्द्रो सहित) की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक का सरकारी गजट चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग संख्या–139621/XXVIII–3–2023 ई–फाईल न0–31629 देहरादून दिनांक 24 जुलाई 2023 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

उक्तानुसार राज्य में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 की धारा– 55(1) (क) के अनुपालनार्थ राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मे रजिस्ट्रीकृत किया जाना है। जिसका अंनन्तिम रजिस्ट्रेशन शुक्ल एक वर्ष के लिये रू0 2000/– निर्धारित किया गया है एवं मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 के अनुसार रजिष्ट्रीकृत नहो हुये संस्थान संचालित करने पर वे दण्ड के भागी होगें।

एवं

मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 की धारा– 55(1) (घ) के अनुसार सभी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तक यथा नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य नर्स, मनोसमाजिक कार्यकर्ता को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन निशुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी (सभी पद्वति के) मनोरोग विशेषज्ञ से भी अपेक्षित है कि वह भी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मे निशुल्क रजिस्ट्रीकृत होवें।

रजिस्ट्रेशन हेतु सभी आवेदन पत्र से सम्बन्धित जानकारी महानिदेशालय की वेवसाईड–https://health.uk.gov.in, एन0एच0एम0 की वेवसाईड– https://nhm.uk.gov.in एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेवसाई– https://smha.uk.gov.in पर उपलब्ध है। आवदेन दिनांक 13/9/2023 से आमन्त्रित किये जाते है। आवदेन की अन्तिम तिथि : 12/12/........ 2023 है। अधिक जानकारी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः आवेदन सप्ताह के प्रथम तीन दिवस सोमवार, मंगलवार व बुधवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय कक्ष संख्या– 47 में प्राप्त किये जायेगें।

11/9/2023

(मुख्य कार्यकारी अधिकरी)
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड देहरादून

Mental Health Authority, Uttarakhand
Room no. 47, Office of the Director General, Medical Health & FW, Uttarakhand Dehradun
Danda Lakhond, PO Gujrara, Sahastradhara Road, Dehradun
Email:smhauthority007@gmail.com,Tel:0135-3506204

Letter No. 21P/Gen/smha/03/2020/27919

Dated 11Sept, 2023

-:PUBLIC NOTICE:-

The general public is hereby informed that using the power conferred by sub-section 2 of section 121 of the Mental Health Care Act 2017 , the Mental Health Care (State Mental Health Authority Uttarakhand) Rules, Regulations and Minimum Standerds for establishing and running of Mental Health Establishments (including drug de-addiction centers) , The Official Gazette has been published via Medical Health and Medical Education Section NO. 139621/xxviii-3-2023 e-file No.31629 Dehradun on 24 july, 2023.

According to this all the Government and Non Government Mental Health Establishments and de-addiction centers running in the State have to be registered with the State Mental Health Authority for the compliance of section -55(1) (a) of the the Mental Health Care Act 2017 .whose provisional registration fee of Rs 2000/- has been fixed for one year and according to the Mental Health Care Act 2017 running a unregistered centers will be liable for punishment.

And

According to section- 55(1) (d) of the the Mental Health Care Act 2017 all mental health professionals such as clinical psychologist ,mental health nurse, psychiatric social worker will be registered ,whose registration has been decided to be free fo cost. Along with this it is also expected from all government and non-government psychiatrist of all pathies working in the state are also expected to get themselves registered free of cost with the State Mental Health Authority.

Information related to all applications for registrations is available on the website of D.G health- **https://health.uk.gov.in**, website of NHM-**https://nhm.uk.gov.in** and website of the State Mental Health Authority –**https://smha.uk.gov.in**

Applications are invited from date..13/9/2023....... ,last date of applying is ...12/12/2023
More information can be obtained from office of State Mental Health Authority.

Note: Application will be recived in first 3 days fo the week Monday, Tuesday and Wednesday between 11 am to 2 pm in Room no. 47 at State Mental Health Authority Office.

11/9/2023

(Chief executive officer)
State Mental Health Authority
Uttarakhand, Dehradun